

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व), सुकमा जिला-सुकमा (छ0ग0)

राजस्व प्रकरण क्रमांक-202504190300001 / अ-62 / 2024-25

प्ररूप-ड.

{ नियम 7(2)देखिये }

// अनुमति पत्र //

क्रमांक/366/प्र.2/अ.वि.अधि.(रा.)/2024-25
प्रति

सुकमा दिनांक 29/04/2025

कार्यपालन अभियंता,
लोक निर्माण विभाग (भ/स)
सुकमा, संभाग सुकमा(छ.ग.)

विषय:- प्राकृतिक रूप से उगे वृक्ष की कटाई हेतु अनुमति पत्र

—00—

कार्यपालन अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग(भ/स) उप-संभाग का पत्र क्रमांक/73/अ.वि.लि./लो.नि.वि./सुकमा दिनांक 07.02.2025 के छत्तीगढ़ शासन विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक/2524/530/21-बजट/छ.ग./22-23 नवा रायपुर दिनांक 27.02.2023 के द्वारा सुकमा में नवीन व्यवहार न्यायालय भवन निर्माण हेतु स्वीकृत राशि रुपये 677.65 लाख प्राप्त होने तथा प्रस्तावित निर्माण सील में 42 नग सागौन व 32 नग अन्य प्रजाति के वृक्षों को निर्माण कार्य में प्रभावित वृक्षों को कटाई हेतु अनुमति चाहे जाने पर आवेदक विभाग द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर वनमण्डलाधिकारी महोदय वनमण्डल सुकमा एवं तहसीलदार सुकमा से संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण एवं जांच प्रतिवेदन चाही गई।

2- प्रकरण में वनमण्डलाधिकारी महोदय वनमण्डल सुकमा एवं तहसीलदार सुकमा को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/159/प्र.2/अ.वि.अ.(रा.)/2025 सुकमा दिनांक 20.02.2025 एवं पत्र क्रमांक/214/प्र.2/अ.वि.अ.(रा.)/2025 सुकमा दिनांक 06.03.2025 के माध्यम से महोदय वनमण्डल सुकमा एवं तहसीलदार सुकमा स्थल निरीक्षण एवं जांच प्रतिवेदन चाही गई परन्तु वन विभाग से किसी भी प्रकार से प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ। प्रकरण में न्यायालय तहसीलदार, तहसील सुकमा, जिला-सुकमा(छ.ग.) के जांच प्रतिवेदन क्रमांक/449/प्र./तह./2025 सुकमा दिनांक 17.04.2025 द्वारा नवीन व्यवहार न्यायालय भवन निर्माण हेतु प्रस्तावित स्थल पर विभिन्न प्रजाति के प्रभावित वृक्षों को छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 240/241 के तहत काटे जाने हेतु निम्नानुसार प्रस्तावित किया है:-

प.ह.न.13/सुकमा, खसरा नंबर-1037/3 रकबा 0.9100 हे.

क्र.	वृक्ष क्रमांक	वृक्ष का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	5
1	19	महुआ	
2	21	सागौन	
3	22	तेन्दू	

4	23	सागौन	
5	24	आल	
6	25	तेन्दू	
7	26	सागौन	
8	27	तेन्दू	
9	28	सागौन	
10	29	सागौन	
11	30	अन्य	
12	31	सागौन	
13	32	सागौन	
14	33	सागौन	
15	34	सेन्हा	
16	35	सागौन	
17	36	सागौन	
18	37	सागौन	
19	38	सागौन	
20	39	सेम्हर	
21	40	सागौन	
22	41	सागौन	
23	42	सागौन	
24	43	सागौन	
25	44	सागौन	
26	45	सागौन	
27	46	सागौन	
28	47	सागौन	
29	48	तेन्दू	
30	49	सागौन	
31	50	सागौन	
32	51	सेम्हर	
33	52	सागौन	
34	53	सागौन	
35	54	सागौन	
36	55	सागौन	
37	56	सागौन	
38	57	सागौन	
39	58	सागौन	
40	59	सागौन	
41	60	सागौन	
42	61	सागौन	
43	62	सागौन	

3- कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), संभाग सुकमा, जिला-सुकमा(छ.ग.) द्वारा प्रस्तावित नवीन व्यवहार न्यायलय भवन निर्माण कार्य की

आवश्यकता को देखते हुए, वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल सुकमा की मौन स्वीकृति एवं तहसीलदार सुकमा के प्रतिवेदन के आधार पर एतद् द्वारा कुल 43 विभिन्न प्रजाति के ईमारती/गैर ईमारती वृक्षों को जनहित में छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 240 के नियम 2, 3(6) के तहत निम्न नियम एवं शर्तों के अधीन काटे जाने की अनुमति दी जाती है।

1. उपरोक्त आदेशित वृक्षों को तहसीलदार, सुकमा एवं आवेदक विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में वन विभाग द्वारा काटा जायेगा। उक्त नवीन व्यवहार न्यायालय भवन निर्माण कार्य में प्रभावित वृक्षों को ही काटे जाने की अनुमति प्रदाय की जा रही है। उक्त वृक्षों के अलावा आस-पास के वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाया जायेगा।
2. उपरोक्त वृक्षों की विधिवत् एवं नियमानुसार कटाई एवं परिवहन वन विभाग द्वारा किया जावेगा। वनमण्डलाधिकारी, वन मण्डल सुकमा को उपरोक्त वृक्ष के काष्ठ की नीलामी से प्राप्त राशि में से परिवहन में हुए व्यय की राशि सुनिश्चित करते हुए निर्धारित दर पर लकड़ी का मूल्य परिगणित कर, कुल मूल्य का 95 प्रतिशत राशि नियमानुसार शासकीय खजाने में जमा की जावेगी एवं 05 प्रतिशत राशि वन विभाग के निर्धारित खाते में जमा की जायेगी। जमा राशि में से प्रत्येक काटे जाने वाले वृक्ष के 10 गुना की संख्या में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण एवं उनका अनुरक्षण किया जाएगा। वन विभाग द्वारा न्यूनतम 6 फीट के वृक्ष रोपित किए जाएंगे एवं रोपण की जानकारी प्रत्येक वर्ष इस कार्यालय के माध्यम से कलेक्टर महोदय की दी जावेगी।
3. प्रश्नाधीन वृक्षों को काटने के पूर्व आस-पास के गृह स्वामियों, यदि हो तो उन्हें पूर्व से सूचित किया जावे एवं विद्युत विभाग से भी आवश्यक सहयोग प्राप्त कर, वृक्षों के कटाई की जावे। साथ ही वृक्ष कटाई पर किसी प्रकार की जन-धन हानि या सरकारी संपत्तियों की हानि न हो इसका पूर्ण ध्यान रखा जावे।
4. छत्तीसगढ़ वनउपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969(क. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) नियम, 2001 का पालन नहीं किए जाने पर यह अनुशंसा शून्य होगी।

यह अनुशंसा पत्र आज दिनांक 28/04/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया। यह अनुशंसा एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य होगी।

पृ० क्रमांक 366A/प्र.2/अ.वि.अधि.(रा.)/2024-25
प्रतिलिपि:-

- 1- कलेक्टर महोदय, जिला-सुकमा(छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
- 2- वनमण्डलाधिकारी महोदय, वनमण्डल सुकमा को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3- तहसीलदार सुकमा, जिला सुकमा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी(रा.)
सुकमा, जिला-सुकमा(छ.ग.)
सुकमा दिनांक 29/04/2025

अनुविभागीय अधिकारी(रा.)
सुकमा, जिला-सुकमा(छ.ग.)